


को सं. 1

21/11


पत्तावली पेश हुई। वकील वादी अग्रणी पेश।
 वकील वादी दंत वादीनी को बा 2 आवाजे
 लगाई गई, अंतर्गत ओर से कोई दायित्व
 अदाकरत नहीं आये। पत्तावली का अवर-
 लोकन किया गया। बाद पत्र दीर्घकालिक
 वर्ष 2013 से विचाराधीन है इत वादपत्र
 वाले तलवी पत्रवादीगणों की पत्रों के समान
 की कार्यवाही में विचाराधीन है। पत्तावली
 का अवरलोकन करने से संज्ञान में आया।
 कि वादीनी को ओर से दिनांक 28/5/13
 को वाद पत्र पेश किया गया, उसके बाद
 वादीनी को ओर से आज दिन तक न तो
 समान पेश हुए ओर न ही समान पेश
 देने के संबंध में पत्तावली में उक्त दिनांक


 सहायक वकील एवं
 उपर्युक्त अधिकारी, यावदी

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

के बाद का कार्य तल्लान्जी की निम्न प्रती-
 -वनी में है इस से यह साफ कार्यवाही
 है कि तल्लान्जी अपने वाप एज में कार्यवाही
 को लेकर जाय जाने की मंशा नहीं रखती
 है। तल्लान्जी की ओर से कोई कार्यवाही
 में हाज़िर अदालत नहीं होना भी जाय जाने
 की मंशा नहीं होना प्रतीत होता है। वाप
 जामात में अनावश्यक रूप से लगना
 यत्न के कारण, तल्लान्जी की ओर से
 अपने कृत्यों का निर्वहन नहीं करने
 के कारण तल्लान्जी की ओर से प्रकट
 वाप एज को अरेस्ट (रेकॉर्ड) के
 अभाव में वाप एज को अरेस्ट कर
 रवाहीज किया जाता है। प्रकटनी जमान
 हुमाद होकर, गमना से काम होकर,
 दाखिल दाफतुर हो



**सहायक कलेक्टर एवं
 अपरगण्ड अधिकारी, बावडी**